NOTE FOR JUSTIFICATION

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (लम्बाई 13.000 किमी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जनपद पिथौरागढ जो उत्तराखण्ड राज्य का अतिदुर्गम क्षेत्र में स्थित होने के साथ ही अन्तराष्टीय सीमा से जुड़ा हुआ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जनपद है। भारत सरकार द्वारा 250 से अधिक आबादी की असंयोजित बसावटों को जोडने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से इन बसावटों को संयोजित करने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है, जिससे इस दुर्गम क्षेत्र में बसे हुए ग्रामीणों को जीवन की मूलभूत सुविधाएं शिक्षा,रोजगार एवं स्वास्थ्य आदि उपलब्ध हो सकें, एवं इन गॉवो में उत्पादित होने वाली सामग्रियों को बाजार तक कम लागत में पहुँचाया जा सके जिससे इन गॉवों से होने वाले पलायन भी रूकेगा।

प्रस्तावित मोटर मार्ग से सिन्नी एवं धामा ~~एवं बनी~~ गॉव जिनकी आबादी 254 है, को जोड़ा जाना प्रस्तावित है यह बसावटें पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से लगभग 10 से 15 किमी0 की पैदल दूरी पर स्थित हैं। मोटर मार्ग से अत्यधिक पैदल दूरी पर स्थित होने के कारण इन गॉवों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की काफी कमी है। बाजार से दूर होने के कारण खाद्यान सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुओं को ग्राम तक ले जाने में ग्रामवासियों को अत्यधिक व्यय करना पड़ता है।

प्रस्तावित समरेखन सिविल सोयम, नाप भूमि तथा आरक्षित वन भूमि से होकर गुजरता है, अन्य किसी श्रेणी की भूमि इस समरेखन से प्रभावित नही होती है। समरेखन के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, मन्दिर व कब्रिस्तान का भाग नहीं पड़ता है।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में काश्तकारों की नापभूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि वन भूमि की श्रेणी में ले ली गयी है। इस मार्ग के समरेखन में नाप भूमि 2.045 है0, सिविल सोयम भूमि 2.250 है0 तथा वन पंचायत भमि 0.00 है0 एवं आरक्षित भूमि 8.100 है0 प्रभावित हो रही है, जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वनभूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अर्न्तगत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु दो वैकल्पिक समरेखनो पर विचार किया गया गुण अवगुणों के आधार पर (विस्तृत विवरण संलग्न) समरेखन नं0 1 को प्रस्तावित किया गया है। जिसे संलग्न मानचित्र में लाल रंग से दर्शाया गया है।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ही प्रस्तावित समरेखन को अनुमोदित किया गया है। प्रस्तावित समरेखन का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, जिसमें उक्त समरेखन में मार्ग का निर्माण तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है, (प्रति संलग्न)। अतः 13.000 किमी0 लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार 9.00 मी0 चौड़ाई में आने वाली कुल सिविल सोयम 10.350 है0 भूमि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अर्न्तगत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ / अ0 सहा0 अभि0	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0	पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0	पी0एम0जी0एस0वाई0 लो0नि0वि0
धारचूला (पिथौरागढ़)	धारचूला (पिथौरागढ़)	धारचूला (पिथौरागढ़)